बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 135133 पटना, दिनांक 11/1/13

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नि0वि0)-102-11/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **दिनांक 17.01.2013 को आहूत उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय मासिक बैठक में इंदिरा आवास का अद्यतन वित्तीय प्रतिवेदन लाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अत्यधिक प्रांरभिक अवशेष रहने के कारण भारत सरकार के द्वारा द्वितीय किस्त के केन्द्रांश की विमुक्ति के समय राशि की कटौती किये जाने की संभावना है ।

विदित हो कि इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विगत वर्ष में कुल उपलब्ध निधि का 10% से अधिक राशि अवशेष रहने पर भारत सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में द्वितीय किस्त केन्द्रांश में विमुक्त की जाने वाली राशि से कटौती किये जाने का प्रावधान है । द्वितीय किस्त केन्द्रांश विमुक्ति के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध निधि का कम-से-कम 75% राशि का उपयोग कर लेने पर भारत सरकार के द्वारा कटौती की संभावना नहीं रहेगी ।

अत: अनुरोध है कि यदि आपके जिले का व्यय 75% से कम हो तो कम-से-कम उक्त निर्धारित सीमा तक राशि का व्यय सुनिश्चित कर एतद् संबंधी प्रतिवेदन दिनांक 17.01.2013 को आहूत उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय मासिक बैठक में साथ लाने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 135133 पटना, दिनांक 11/1/13

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

D:\Mukesh\IAY 745.doc